न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

दावा संख्या - 134/2018

1- जगदीश पुत्र रामसहाय आयु 70 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम जोनपुरा तहसील जमवारामगढ़ जिला - जयपुर

....वादी

बनाम

1- रुक्मादेवी पत्नि स्व० श्री घनश्याम
2- धर्मेन्द्र पुत्र स्व० श्री घनश्याम } जरिये संरक्षक
3- सन्तोष पुत्री स्व० श्री घनश्याम } माता रुक्मा देवी
समस्त जाति मीना निवासी 3 विष्णु विहार कालोनी आगरा रोड, जयपुर।
4- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़ जिला जयपुर

....प्रतिवादीगण

उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

दावा बाबत घोषणा, खातेदारी अन्तर्गत धारा 88, 188 आर० टी० एक्ट

निर्णय दिनांक- 17/01/2019

यह वाद वादी की ओर से वाद बाबत घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88, 188 आर० टी० एक्ट के तहत पेश किया। वाद का संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि वादग्रस्त भूमि जिसके साबिक खसरा नम्बर 346 रकबा 16 बीघा 8 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 265 रकबा 4.1500 हैक्टर ग्राम राहोरी तहसील जमवारामगढ़ जयपुर जिसमें वादी का पूर्व ख०नं० 346 में शामलाती हिस्सा

17.01

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

जगदीश बनाम रुखमादेवी
दावा स० - 134/2018

(2)

1/6 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जो वादग्रस्त भूमि है।

वादी द्वारा पूर्व ख०नं० 346 खाता 16 बीघा 08 बिस्वा में अपने हिस्से 1/6 में से 1 बीघा भूमि का विक्रय प्रतिवादी स०-1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता घनश्याम मीणा पुत्र श्री रामलाल मीणा को दिनांक 14/10/2011 को किया गया था। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 14/10/2011 को सब-रजिस्ट्रार जयपुर पंचम के यहां पुस्तक स० 1 जिल्द संख्या- 467 में पृष्ठ संख्या 136 क्रमांक- 2011397017514 पर पंजीबद्ध किया गया। तथा अतिरिक्त पुस्तक स०-1 जिल्द संख्या 1867 के पृष्ठ स०- 363 से 370 पर चस्पा किया कर कब्जा क्रेता को सम्भला दिया गया था।

प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी स०- 2 व 3 के पिता ने हल्का पटवारी से मिली भगत कर नामान्तकरण संख्या 735 दिनांक 11.1.2013 द्वारा खसरा न०- 346 में वादी की सम्पूर्ण भूमि 1/6 का नामान्तकरण विक्रय पत्र के विरुद्ध जाते हुऐ क्रेता घनश्याम मीणा के नाम तस्दीक कर दिया। उसी अनुसार हाल जमाबन्दी संवत 2073-76 में नवीन खसरा 265 में सम्पूर्ण भूमि हिस्सा 1/6 का अंकन क्रेता के हक में कर दिया। जबकि विक्रय पत्र के अनुसार 1 बीघा भूमि का नामान्तकरण तस्दीक करना चाहिये था। वादी की सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण क्रेता के ~~क्रेता~~ के हक में खोला गया जो गैरकानूनी कृत्य है। पटवारी हल्का को सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण खोलने का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है

वादी ने प्रस्तुत वाद पत्र के मद स०।

P.T.O →

उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जि...)

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

जगदीश बनाम रुकमा देवी
दावा सं० 134/2018

(3)

तागायत 12 में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए अनुतोष चाहा कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा की जावे कि वादग्रस्त भूमि ख०नं० 265 रकबा 4.1500 हैक्टर, में प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी सं० 2 वा 3 के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से दर्ज हिस्सा 1/6 को दुरुस्त करते हुए विक्रय पत्र को ध्यान में रखते हुए उक्त सम्पूर्ण भूमि में वादी को हिस्सा 53/498 व प्रतिवादी सं 1 वा 3 को हिस्सा 20/415 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त में वादी के हिस्से से बेदखल नहीं करें, बेचान, कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण को जारी की गई। प्रतिवादी सं० 1 वा 3 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा करवाई गई। दिनांक 18/12/18 को प्रतिवादीगणों को बार-बार आवाजें लगवाई गई किन्तु अनुपस्थित होने से इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 17/1/19 को वादी वकील ने अपनी साक्ष्य न कराकर सीधे बहस की। वकील वादी की बहस सुनी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि ख०नं० 265 रकबा 4.1500 हैक्टर, वाके ग्राम भोजपुरा तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) में वादी मय 1 बीघा

P.T.O.

उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

(4)

भूमि का बेचान प्रतिवादी नं॰ 1 के पति व 2 ता 3 के पिता को बेचान किया था किन्तु पटवारी हल्का ने वादी के 1/6 सम्पूर्ण हिस्से का नामान्तकरण भरवाकर तहसीलदार जमवारामगढ से तस्दीक करवा लिया। सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण तस्दीक करना गैरकानूनी है अतः प्रतिवादीगण स० 1 ता 3 के नाम 1 बीघा का भूमि व शेष भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। एकतरफा बहस व प्रतिवादी नं॰ 1 ता 3 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने बाबत व साक्ष्य न पेश कर वकील वादी सीधे बहस की। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सवंत 2073-76 नामान्तकरण स० 735 ग्राम राहोरी, जमाबन्दी सवंत 2056-59, निशान क्षेत्रफल, एवं विक्रय पत्र दिनांक 14/11/2011 का अवलोकन किया। अवलोकन करने विक्रय पत्र दिनांक 14/11/2011 में विक्रेता प्रथम पक्ष जगदीश पुत्र रामसहाय जाति मीणा निवासी नोन्दपुरा तहसील जमवारामगढ ने खसरा॰ 346 रकबा 16 बीघा 08 में अपने हिस्से 1/6 में से द्वितीय पक्ष घनश्याम पुत्र राजू मीणा निवासी -3 विष्णु विहार कालोनी आगरा रोड जयपुर को 1 बीघा भूमि का बेचान किया किन्तु पटवारी हल्का राहोरी ने नामान्तकरण स० 735 में वादी के सम्पूर्ण हिस्सा 1/6 का नामान्तकरण भरकर तहसीलदार जमवारामगढ (जयपुर) ने दिनांक 11/01/13 को तस्दीक कर दिया जो कानूनी भूल की है अतः प्रस्तुत दावा को डिक्री किया जाना उचित एवं न्याय संगत समझते है।

P.T.O →

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

दावा स०- 136/2018 जगदीश बनाम रुक्मा देवी

(5)

अतः वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि ख०न० 205 रकबा 4.1500 हैक्ट० वाके ग्राम राघोरी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 के पति व 2 ता 3 के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में गलत रुप से दर्ज हिस्सा 1/6 को दुरस्त करते हुऐ विक्रय पत्र के अनुसार उक्त सम्पूर्ण भूमि ~~-×-~~ में वादी को 53/498 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को संयुक्त हिस्सा 23/415 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार जमवारामगढ़ तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करें डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार ~~होकर~~ होकर नम्बर से कम हो वाद पूर्ति दाखिल रफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/01/2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़